## आदेश

# नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

- का.आ. 4605 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
  - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
  - "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

## "सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (पी एस एफ)	आईएस 17263:2022	टेक्सटाइल - पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागृ होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1651 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the 29th September, 2022

- **S.O. 4605** (E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Amendment Order, 2022.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

- 2. In the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 3<sup>rd</sup> day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Staple Fibres (PSF)	IS 17263:2022	Textile - Polyester Staple Fibres - Specification

**Note:** For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Pt-1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> April, 2022 *vide* number S.O. 1651(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022.

### आदेश

# नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

- का.आ. 4606 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
  - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -
  - "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातु:-

### "सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (आई डी वाई)	आईएस 17264: 2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न - विनिर्देश